

(16)

8290/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

KUMAR SHARMA
Deputy District
Mistry Compound
Meerut, Meerut.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय पत्र, सब रजिस्ट्रार द्वितीय, मेरठ।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार— | (आवासीय भूमि) |
| 2. | वार्ड परगना | |
| 3. | मौहल्ला | ग्राम बाजौट तहसील व जिला मेरठ |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण | खसरा नम्बर 387/2 का भाग। |
| 5. | मापन की इकाई | (हैक्टेयर) |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | 0.21745 हैक्टेयर |
| 7. | पेडो का मूल्यांकन | लागू नहीं |
| 8. | बोरिंग/कुआ/अन्य | लागू नहीं |
| 9. | प्रतिफल की धनराशि | 54,38,000 /— रुपये । |

445574 H
135 3

21/1/12

OK
16/6

A. haque



- 2
- 1- विक्रीत भूमि भूमिधरी अन्दर सीमा अर्द्धनगरीय क्षेत्र मेरठ है।
 - 2- स्टाम्प शुल्क अंकन 3,81,000/- रुपये।
 - 3- विक्रय मूल्य व सर्किल रेट के अनुसार बाजारी मूल्य अंकन 54,38,000/- चव्वन लाख अड़तिस हजार रुपये।
 - 4- विक्रीत भूमि कृषि भूमि है लेकिन मौके पर आवासीय गतिविधि है। तथा आवासीय प्रयोग हेतु ही विक्रय की जा रही है। जिसका सर्किल रेट अंकन 2,500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर नियत है जिसपर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
 - 5- विक्रीत भूमि में बाग या पेड़ नहीं है।

26/7/2013



A. haque





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

- 6- विक्रेता तथा क्रेता आदिवासी जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है ।
- 7- विक्रीत भूमि की सिंचाई प्राइवेट ट्यूबवैल से होती है ।
- 8- विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग/ राज्य मार्ग/ जनपदीय मार्ग/लोक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- 9- विलेख पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- 10- विक्रीत भूमि की 50 मीटर की परिधि में आवासीय गतिविधि विद्यमान है। इसलिये आवासीय दर पर स्टाम्प शुल्क अदा किया है।

25/7/2

A. haque





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2013

Z 528320

17

किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

21/07/12

A. haque

21/07

जामिनी नामांकी 21/07/12

21/07

Sham Ah

दिनांक :- 29.07.2013 ई0 मसविदा व फोटो का सत्यापन अनिल कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक मेरठ ।

CIVIL KUMAR SHARMA
Document Writer
Bastar Company
Bastar, Meerut

835 100
 ग्राम संख्या..... नं. 0815, मे मेधा राखा
 26 JUL 2013
 पंक्ति
 जेलवार, देव

आज दिनांक 29/07/2013 को
 वही सं. 1 जिल्द सं. 6716
 पृष्ठ सं. 397 से 430 पर क्रमांक 8290
 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उपनिबन्धक द्वितीय
 मेरठ
 29/7/2013



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 850781

4

विक्रय पत्र ओर से श्री गुलजार पुत्र श्री युनुस निवासी 84, जाकिर
हुसैन कालौनी, हापुड रोड, मेरठ शहर ————— प्रथम पक्ष (विक्रेता)

व मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10,
शास्त्री नगर मेरठ शहर (ए कम्पनी इनकोरपोरेटिड अण्डर दी इण्डियन
कम्पनीज एक्ट 1956) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अब्दुल हक पुत्र श्री
अफसर अली निवासी 111/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर, जिन्हे बोर्ड
आफ डायरेक्टर की बैठक में पारित प्रस्ताव दिनांक 31.03.2013 ई०
द्वारा विक्रय विलेख पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया गया है

द्वितीय पक्ष (केता)

PAN No. AAHCA5271F

A. Haque

गुल ५/२



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

इस कि आवासीय भूमि रकबई 0.21745 हैक्टेयर अर्थात् 2174.50 दो हजार एक सौ चौहत्तर पाईन्ट पाँच जीरो वर्ग मीटर, मध्ये खसरा नम्बर 387/2 स्थित ग्राम बाजौट परगना व तहसील व जिला मेरठ का प्रथम पक्ष भूमिधर व काश्तकार व वास्तविक स्वामी व पूर्णतः विक्रयाधिकारी है। उपरोक्त भूमि आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उन्मुक्त तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त एवं रहित है तथा प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि की जमानत पर किसी वित्तीय संस्था एवं बैंक आदि से कोई ऋण अथवा कर्जा प्राप्त नहीं किया है तथा न ही उपरोक्त भूमि को अपने हस्ताक्षरों के कहीं पर बन्धक अथवा भार ग्रस्त किया हुआ है। अर्थात् उपरोक्त

01/05/12

A. Nagre



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



6

भूमि आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि पाक व साफ है। प्रथम पक्ष को उक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व तथा अधिकार प्राप्त है। तथा कोई वैधानिक दोष प्रथम पक्ष के विक्रयाधिकारों में बाधक नहीं है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है जो इस समय का अधिक से अधिक बाजारी मूल्य है विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष का पूरा - पूरा लाभ है। अतः प्रथम पक्ष ने अपने उक्त भूमि को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुये किसी स्वत्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थित बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में

A. haque

21/2





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 850778

7

अंकन 54,38,000/- चषन लाख अडतिस हजार रुपय विकय, मूल्य के उपलक्ष में हस्ते मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अब्दुल हक पुत्र श्री अफसर अली निवासी 111/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर, जिसे ऊपर द्वितीय पक्ष केता भी कहा गया है, को विकय कर दिया और बेच डाला ओर समस्त विकय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद निम्नलिखित विवरणानुसार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली द्वितीय पक्ष केता के अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक आधिपत्य आदि मे देकर उनको अपनी भोंति वास्तविक स्वामी व

A. Haq

21/1/12





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



8

पूर्णतया अधिकारी बना दिया है। अब विक्रेता का कोई सम्बन्ध विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा है और न रहेगा। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि में अपना भवन निर्माण कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर नियमानुसार निर्मित कराये। यदि विक्रीत भूमि पर आज से पूर्व का कोई ड्यूज शेष पाया जायेगा तो उसे प्रथम पक्ष अदा करने के पाबन्द रहेंगे तथा आज के बाद स्वयं द्वितीय पक्ष वहन करेंगे। यदि किसी कादी के वादवश अथवा किसी वैधानिक दोषवश उक्त भूमि सम्पूर्ण अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष केता के अधिकार स्वामित्व एवं

N. Nagu

21/7/12





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



C 850776

9

आधिपत्य आदि से निकल जायेगा अथवा उक्त भूमि पर कोई ऋण भार पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा सन्सूख करार पाया जायेगा जो द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अदा या सर्फ करना पड़ जाये तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त अधिकार मूल्य अथवा उसका अंश व वाद व्यय आदि सहित मय बागत माबाद बैनामा जिस प्रकार उचित जाने वापस प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त करले जिसमें किसी भी पक्ष तथा

21/5/12

A. Haque



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000

पचास हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 850775

10

उनके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। यह कि इस विक्रय पत्र में जहाँ कही भी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष कहा गया है, उसमें उनके अपने - अपने वैधानिक उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित माने जायेंगे। अतः यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाण रहे। इति:

विवरण प्राप्ति धनराशि ।

अंकन 5,50,000/- पाँच लाख पचास हजार रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक चेक नम्बर 019841 दिनांक 02.04.2013 ई0 बैंक आफ इण्डिया मेरठ शहर द्वारा प्राप्त कर लिये है।

25/4/2

A. hague



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



11

2. अंकन 8,00,000/- आठ लाख रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक चैक नम्बर 019843 दिनांक 02.05.2013 ई0 बैंक आफ इण्डिया मेरठ शहर द्वारा प्राप्त कर लिये है।
3. अंकन 13,00,000/- तेरह लाख रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक चैक नम्बर 019846 दिनांक 08.06.2013 ई0 बैंक आफ इण्डिया मेरठ शहर द्वारा प्राप्त कर लिये है।
4. अंकन 13,00,000/- तेरह लाख रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक चैक नम्बर 019847 दिनांक 10.06.2013 ई0 बैंक आफ इण्डिया मेरठ शहर द्वारा प्राप्त कर लिये है।

21/5/2

A. Nagu



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



12

अंकन 14,00,000/- चौदह लाख रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक चेक नम्बर 019848 दिनांक 12.06.2013 ई0 बैंक आफ इण्डिया मेरठ शहर द्वारा प्राप्त कर लिये है।

अंकन 88,000/- अटठासी हजार रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद द्वारा प्राप्त कर लिये है।

कुल योग अंकन 54,38,000/- चब्वन लाख अडतिस हजार रुपये।

25/7/12

A. Haque





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

नक्शा नजरी

बेनामा मालियत/बाजारी मूल्य 54,38,300/- रुपये।

विक्रेता का नाम व पता श्री गुलजार निवासी 84, जाकिर हुसैन कालौनी, हापुड रोड, मेरठ शहर।

क्रेता का नाम व पता मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अब्दुल हक।

सम्पत्ति स्थित

ग्राम बाजौट जिला मेरठ

सम्पत्ति का विवरण एक आवासीय भूमि, मध्ये खसरा नम्बर 387/2 एकबई 2174.50 वर्ग मीटर।

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

25/7/12



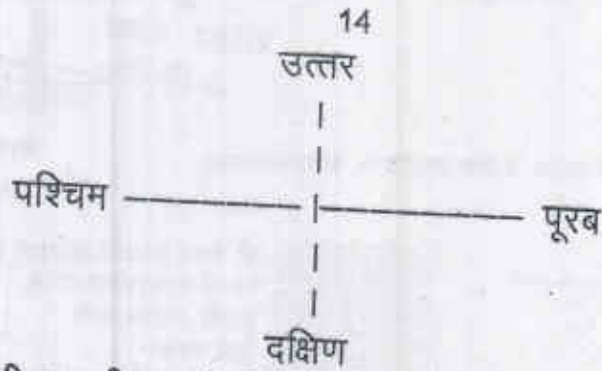
A. Haq





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C-850771



विकीत भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सडक हापुड बाईपास रोड से अन्दर लगभग 150 मीटर
2. आवासीय/वाणिज्यिक/भूमि/भवन/औद्योगिक आवासीय

21/12/12

A. haque





5,438,000.00/ 5,438,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000
प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री मकान व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री गुलजार एचडीएम 1710040
पुत्र श्री युनुस
व्यापार

निवासी स्थायी 84, जाकिर कालोनी मेरठ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र दृष्ट करपालय में दिनांक 29/7/2013 समय 2:37PM
धजे निबन्धन हेतु पेश किया।

21/5/12

तोता राम
ज. नि०लि०

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक द्वितीय

मेरठ

29/7/2013

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजबूत व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

श्री गुलजार एचडीएम 1710040

पुत्र श्री युनुस
पेशा व्यापार
निवासी 84, जाकिर कालोनी मेरठ

श्री मेसर्स अम्बासी राय डबल प्रा० लि० द्वारा अ० हक
पैन न० एएएचसीए52718
पुत्र श्री अफसर अली
पेशा व्यापार
निवासी 111/10, शास्त्री नगर मेरठ

A. haque

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अनिल कुमार शर्मा व० ले०

पेशा दस्तावेज लेखक

निवासी

व श्री अरविन्द कुमार
पुत्र श्री ओ० पी०

पेशा अन्य

निवासी पोहली मेरठ

ने की।

प्रत्यक्षतः यह साक्षियों के निम्नानुगुण निबन्धानुसार लिखे गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

तोता राम
ज. नि०लि०

उपनिबन्धक द्वितीय
मेरठ

29/7/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पंद्रह हजार रुपये

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

656690



15

3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज
5. गैस गौदाम/पेट्रोल पम्प/बस अड्डा
6. होटल/रैस्टोरैन्ट/मनोरंजन केन्द्र

नही
नही
नही
नही

21/7/12

A. haqvi



833/150
 819
 26 JUL 2013
 26/7/13
 विक्रेता

Registration No.: 8290

Year: . 2013

Book No.: 1

0101 गुलजार एचसीएम 1710040

युनुस

84, आफिअ कालोनी मेरठ

व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निर्गमित कार्यालय नही
8. अन्य नही
घोषणा- किसी तथ्य को छिपाया नही गया है तथा गलत वर्णन अंकित नही

25 अगस्त/2



A. Haque



